हिमाचल प्रदेश सरकार
उद्योग विभाग
भौमिकीय शाखा

No.Udyog-Bhu(Khani-4)Laghu-92/2002- 2011

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला कांगड़ा के 8 उपमण्डलों में पड़ने वाली 48 लघु खनिज खानों /खड्डों की नीलामी दिनांक 30–12–2011 व 31–12–2011 को प्रातः 11.00 बजे जिला परिषद हॉल धर्मशाला में की जायेगी जिसका उपमण्डल–वार विवरण निम्न अनुसार हैः–

दिनांक व समय	उपमण्डल का नाम	नीलामी हेतू स्थल का नाम
30–12–2011को 11.00 बजे	बैजनाथ, जयसिंहपुर, पालमपुर,	जिला परिषद हॉल, धर्मशाला
31–12–2011 को 11.00 बजे	धर्मशाला, कांगड़ा, देहरा , ज्वाली व नूरपुर	जिला परिषद हॉल, धर्मशाला

उपरोक्त उपमण्डलों में पड़ने वाली खानों/खड्डों की नीलामी इस शर्त पर अधिसूचित की जा रही है कि यदि नीलामी वाले दिन जिन खड्डों का वन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ होगा उसे पीठासीन अधिकारी की सहमति/आदेशानुसार नीलामी सूची से हटा दिया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति खानों के पूर्ण विवरण/शर्तो तथा खानों से सम्बन्धित अन्य जानकारी के लिए खनि अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क करें या विभागीय Website www.himachal.nic.in/industry पर पूर्ण विवरण प्राप्त किया जा सकता है। लघु खनिज खानों जैसे रेत, पत्थर व बजरी की नीलामी 3 वर्ष के लिए वार्षिक बोली के आधार पर की जायेगी परन्तु खानों की बोली की स्वीकृति बोली राशि प्राप्ति के आधार पर प्रदेश सरकार की निम्नलिखित नीति के अनुसार प्रदान की जाएगी ।

1– जहां बोली पिछली बोली से 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होती है 3 वर्ष

2– जहां बोली पिछली बोली से 20 प्रतिशत से अधिक व 50 प्रतिशत से कम प्राप्त होती है 1 वर्ष

3– जहां बोली पिछली बोली से अधिक आती है पर 20 प्रतिशत से कम हो 3 माह

हस्ता0/–

निदेशक उद्योग
हिमाचल प्रदेश।

Government of Himachal Pradesh
Department of Industries
Geological Wing

No.Udyog-Bhu(Khani-4)Laghu-92/2002- 2011

Auction Notice

It is for the information of general public that the mineral rights of 48 minor mineral quarries falling in 8 Sub Divisions of District Kangra are being put to public auction on 30.12.2011 & 31.12.2011 at 11.00 A.M. in the Zila Parishad Hall, Dharamshala. The Sub Division-wise detail is as under:

Date & Time	**Name of the Sub Divsion in which the proposed auction quarries falls**	**Venue of Auction**
30.12.2011 at 11.00 A.M.	Baijnath, Jaisinghpur & Palampur	Zila Parishad Hall, Dharamshala
31.12.2011 at 11.00 A.M.	Dharamshala, Kangra, Dehra, Jawali & Nurpur	Zila Parishad Hall, Dharamshala

The quarries of khads falling in the above mentioned Sub Divisions are being auctioned subject to the conditions that if the Forest Department will not issue No Objection Certificates for any of the proposed quarries upto the auctioned date, the same shall be deleted from the auction list with due concurrence/permission of the Presiding Officer. The interested persons may contact the Mining Officer, Kangra at Dharamshala for detailed information/terms and conditions of the auction on any working day or the same can be downloaded from the Department **website www.himachal.nic.in/industry**. The auction of minor mineral quarries of Sand, Stone and Bajri shall be conducted for 3 years but approval of the bid shall be on the basis of the bid received as per State Govt. Policy given below:-

1. Where the bid exceeds the previous bid by more than 50% - 3 years
2. Where the bid exceeds the previous bid by more than 20% but does not exceed the previous bid by more than 50% - 1 year
3. Where the bid is more than previous bid but does not exceed more than 20%. - 3 months

Sd-

Director of Industries
Himachal Pradesh

LIST OF AUCTION PROPOSAL OF (48) MINOR MINERALS QUARRIES FOR RIVER BED MINING OF STONE/BAJRI/SAND IN DISTRICT KANGRA								
Sr. No.	**Name of Query**	**Name of Mineral**	**Khasra No.**	**Area in Hect.**	**Mohal**	**Mauja**	**Type of Land**	**Land Owner**
BAIJNATH SUB DIVISION								
1	Awa Khad-IV (Tarehal)	Sand, Stone & Bajri	1/1	1-06-71	Tarehal	Tarehal	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
2	Binwa Khad	Sand, Stone & Bajri	121, 299	1-14-26	Balh	Lanod	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
3	Binwa Khad	Sand, Stone & Bajri	1/2, 1/3	0-86-81	Gankhetar	Baijnath	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
4	Binwa Khad Down Stream of the (Railway Bridge)	Sand, Stone & Bajri	1/2	1-00-11	Baijnath	Baijnath	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
5	Binwa Khad (Kaswa)	Sand, Stone & Bajri	1/1	1-60-04	Kaswa	Baijnath	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
6	Binwa Khad (Burli Kothi)	Sand, Stone & Bajri	578/2/1	1-19-17	Kothi	Paprola	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
7	Binwa Khad (Majherna)	Sand, Stone & Bajri	540/1, 1675	3-52-23	Majherna	Majherna	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
8	Binwa Khad (Sagoor)	Sand, Stone & Bajri	502	2-71-13	Sagoor	Sagoor	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
9	Binwa Khad (Duhki)	Sand, Stone & Bajri	569	1-87-36	Duhki	Sagoor	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
10	Binwa Khad (Sakri)-I	Sand, Stone & Bajri	921, 1075	1-35-37	Narghor	Sakri	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
11	Binwa Khad (Dandhol)	Sand, Stone & Bajri	1344, 1347, 1351, 1596/1, 1806	4-85-15	Balh, Dandhol Ghangole	Chadiar Gharsal	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
12	Binwa Khad (Babal)	Sand, Stone & Bajri	307, 1635	4-52-60	Babal	Sansai	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.

13	Binwa Khad (Chamb)	Sand, Stone & Bajri	1656, 1657	1-31-31	Chamb	Sansai	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
14	Punkhad (Nouri-Jhikli)	Sand, Stone & Bajri	605/1, 964/1	1-13-60	Jhikli Nour	Nouri	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
15	Sansali Khad	Sand, Stone & Bajri	513/1	1-07-20	Sansal	Sansal	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
16	Awa Khad-III (Sungal)	Sand, Stone & Bajri	986, 1335, 1184, 1334	1-85-28	Sungal	Sungal	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
17	Awa Khad-VI (Biara)	Sand, Stone & Bajri	941, 2192/ 2092	1-34-07	Biara	Agojar	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
18	Awa Khad-VII (Agojar)	Sand, Stone & Bajri	1619/1, 1/1	1-32-94	Agojar and Chaluhi	Agojar and Sagoor	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
19	Awa Khad-VIII (Machhuhi)	Sand, Stone & Bajri	1,1116/1	1-48-99	Balh	Sagoor	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
JAISINGHPUR SUB DIVISION								
20	Beas River Lambagaon-II	Sand, Stone & Bajri	884	2-11-33	Dasloon	Lambagaon	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
21	Beas River (Alampur Bag)	Sand, Stone & Bajri	737/2	1-04-64	Bag	Alampur	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
22	Haroti Khad	Sand, Stone & Bajri	1052	4-72-96	Bhati	Koshri	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
23	Mandh Khad (Gandar)	Sand, Stone & Bajri	1659	1-22-44	Gander	Bardam	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
PALAMPUR SUB DIVISION								
24	Moul Khad (Chula)	Sand, Stone & Bajri	227/1, 576/1, 579	3-42-80	Chulla	Thural	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
25	Sukad Khad (Sapruhal)	Sand, Stone & Bajri	369/1	1-95-72	Sapruhal	Garh Jamula	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
26	Baner Khad (Diyala)	Sand, Stone & Bajri	1	4-19-78	Diyala	Jia	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.

27	Awa Khad (Chandpur)	Sand, Stone & Bajri	919, 920, 925, 878, 949 & 1100	2-12-42	Chandpur, Bharmat Uprali	Bundla and Banoori	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
28	Awa Khad- II (Nain)	Sand, Stone & Bajri	249/2, 404/2	0-55-65	Nain	Kandwari	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
29	Moul Khad (Bhoda)	Sand, Stone & Bajri	817/2, 817/2/1, 817/2/2	1-06-45	Sai	Garh Jamula	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
DHARAMSHALA SUB DIVISION								
30	Baner Khad (Padher)	Sand, Stone & Bajri	1380/1, 1381, 1382/1	4-57-27	Padher	Jadrangal	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
31	Manooni Khad (Sukkar)	Sand, Stone & Bajri	630, 631, 641, 1066	2-91-13	Garh Sukkar	Sukkar	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
32	Manooni Khad (Mandal)	Sand, Stone & Bajri	79/1	1-58-51	Jasiyal	Mandal	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
33	Manjhi Khad	Sand, Stone & Bajri	935, 943, 1612/1	3-09-30	Uprli Dari and Gabli Dari	Ghanyara	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
34	Manjhi Khad (Maned)	Sand, Stone & Bajri	851/1	2-29-72	Maned	Maned	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
KANGRA SUB DIVISION								
35	Baner Khad (T.hanpuri)	Sand, Stone & Bajri	1244	1-45-88	Thanpuri	Rajiana	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
36	Baner Khad (Suneher)	Sand, Stone & Bajri	112	4-77-01	Sunehar	Sunehar	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
37.	Daroon Khad	Sand, Stone & Bajri	1387/1 and 1941	4-37-71	Rajiana	Rajiana	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
38	Daroon Khad (Dhaloon)	Sand, Stone & Bajri	611 934/2	1-62-40	Dhaloon	Dhaloon	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
39	Baner Khad (Khart)	Sand, Stone & Bajri	1245, 1438, 1435, 1423	2-95-45	Kharat	Kharat	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
40.	Baner Khad (Nandrool)	Sand, Stone & Bajri	872, 890	4-49-80	Maira	Nandrool	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.

DEHRA SUB DIVISION								
41	Beas River (Bharoli)	Sand, Stone & Bajri	434/2	2-97-90	Bedli	Bharoli	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
42.	Dhaliara-1	Sand, Stone & Bajri	23	4-48-83	Dhaliara	Dhaliara	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
JAWALI SUB DIVISION								
43	Jhakhbar Khad (Beli Anutran)	Sand, Stone & Bajri	1247, 1248/1, 1249	4-32-96	Beli Auntran	Rey	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
44	Beas River (Tatwali)	Sand, Stone & Bajri	872/1, 873/1	4-63-25	Tatwali	Rey	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
45	Beas River (Rey)	Sand, Stone & Bajri	1482/1	4-89-70	Rey	Rey	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
NURPUR SUB DIVISION								
46	Chatroli Khan	Sand, Stone & Bajri	1, 468	1-61-65	Chatroli	Chatroli	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
47	Beas River (Palakh)	Sand, Stone & Bajri	608/1	4-38-49	Palakh	Palakh	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
48	Gehi Lagore	Sand, Stone & Bajri	1722	2-18-56	Bhatka	Kapra	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.

नीलामी निम्नलिखित शर्तो के आधार पर की जाएगी।

1— नीलामी के नियम व शर्ते हिमाचल प्रदेश लघु खनिज रियायत संशोधित नियमावली, 1971 के अनुसार नीलामी स्थल पर उद्घोषित भी की जाएगी।

2— बोली प्रतिवर्ष के आधार पर दी जाएगी ।

3— कोई भी व्यक्ति जो बोली देने के इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास पेनकार्ड नम्बर होना अतिआवश्यक है तथा वही व्यक्ति बोली आरम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी के पास 50,000/—रूपये धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि खनि अधिकारी, धर्मशाला के नाम देय हो जमा करायेगा । बैंक ड्राफट के पीछे बोली दाता का नाम व पता लिखा होना चाहिए । जमा ड्राफट, बोली समाप्त होने पर बोलीदाताओं को वापिस कर दिया जाएगा । नीलामी कमेटी किसी विशेष परिस्थिति में धरोहर राशि बढ़ा भी सकती है।

4— यदि कोई बोलीदाता किसी लधु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली दें, परन्तु वांछित राशि उसी समय जमा न करें या बोली देने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्धारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त की जायेगी और भविष्य में कम से कम 3 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति बोली न दे सकेगा तथा उसी समय उक्त उत्खनी को पुनः नीलाम कर दिया जाएगा।

5— जिन उत्खनियों के खनिज अधिकारों को नीलामी हेतू अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0 या फिर भोगौलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति/बोलीदाता सम्बन्धित खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है। बोली केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए है जिसका पूर्ण विवरण खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

6— बोलीदाता, बोली देने से पहले यदि चाहे तो वे अपने हित में अधिसूचित खानों का निरीक्षण कर सकता है ।

7— बोलीदाता किसी भी जिला में खन्न से सम्बन्धित देय राशि का बकायादार नही होना चाहिए। यदि कोई बोलीदाता विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उसे नीलामी में भाग लेने की अनुमति नही दी जायेगी। यदि बकायादार, नीलामी के मध्य बकाया राशि को जमा कर देता है तो उस अवस्था में वह नीलामी में भाग ले सकता है। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान बोली पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित की जाएगी तथा खान का ठेका रद्द करके खान को पुनः नीलाम किया जाएगा ।

8— रेत, पत्थर व बजरी आदि की लधु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी।

9— उत्खनी के खनिज अधिकारों की बोली समाप्त होते ही वांच्छित राशि उच्चतम बोली दाता को पीठासीन अधिकारी के पास निम्न तरीकों से जमा करनी होगी । (i) जहां पर बोली राशि 1000/—रूपये प्रतिवर्ष की दर से अधिक होगी उस अवस्था में उच्च बोलीदाता बोली की 25 प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि के तौर पर तथा बोली की 25 प्रतिशत राशि पहली किश्त के रूप में जमा करवायेगा। प्रतिभूति राशि एफ0डी0आर के रूप में ली जाएगी । (ii) जहॉं बोली 1000/—रू0 से कम होगी वहॉं समस्त वार्षिक राशि एक मुश्त जमा करानी होगी तथा उसके अतिरिक्त 25 प्रतिशत प्रतिभूति राशि एवम् अन्य कर जमा करवाने होंगे । इसके अतिरिक्त बोली के आधार पर आयकर एवम् पंचायत टैक्स व अन्य टैक्स समय—समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम बोलीदाता को जमा करवाने होगें ।

10— सरकार को अधिकार है कि वे उच्चत्म बोली को बिना किसी कारण बताये निर्धारित कर स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

11— सरकार को अधिकार है कि वे ठेके की अवधि बढ़ा या घटा सकती है।

12— कोई भी खन्न कार्य राष्ट्रीय उच्च मार्ग /राज्य मार्ग से 60 मी0 व लिंक रोड़ से 50 मी0 की दूरी तक नहीं किया जाएगा । इसके अतिरिक्त खन्न कार्य हि0 प्र0 लघु खनिज(संशोधित) नियमावली—1971 के प्रावधानों व सरकार द्वारा दिनांक 28.2.2004 को अधिसूचित रिवर/स्ट्रीम वैड माईनिंग पॉलिसी के अनुरूप होगी। उपरोक्त नियमों/ अधिसूचना की प्रति, खनि अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

13— बोली के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुर्व्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्धारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे बोली में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।

14— बोली केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी यदि बोली की स्वीकृति सरकार या अन्य किसी दूसरे सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है । स्वीकृति तिथि तथा नीलामी तिथि के समय अवधि में उच्च बोलीदाता को, बोली के अनुपात में अतिरिक्त राशि जमा करवाने पर अल्प अवधि परमिट लेना होगा। यदि उच्च बोलीदाता परमिट नहीं लेता है तो उस अवस्था में किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति को बोली के अनुपात में परमिट प्रदान किया जाएगा और बोलीदाता की उस पर कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

15— नीलामी के लिए अधिसूचित लघु खनिज़ खानों के खनिज अधिकारों को खसरा नम्बरों द्वारा अधिसूचना में दर्शाया गया है, ही मान्य होगा तथा राजस्व रिकार्ड सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित खनि अधिकारी/महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त की जा सकती है ।

16— यदि नीलाम की गई लघु खनिज़ खानों का पूर्व ठेका नीलामी के समय चल रहा है तो नीलाम की गई उत्खनि का कब्ज़ा उसी अवस्था में दिया जायगा जब वर्तमान ठेके की अवधि समाप्त होगी।

17— बोली में हिस्सा लेने वाले बोलीदाता, बोली के मध्य अपनी आपत्ति उठा सकते हैं। बोली समाप्त होने पर किसी प्रकार की आपत्ति पर सुनवाई नहीं की जाएगी।

18— सम्बन्धित ठेकेदार को हिमाचल प्रदेश लघु खनिज़ संशोधित नियमावली, 1971 के नियम—33 के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर शर्तनामें पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि शर्तनामे पर हस्ताक्षर करने में ठेकेदार इस अवधि के मध्य असफल रहे, तो उस अवस्था में ठेका रद्द समझा जाएगा तथा उस द्वारा जमा करवाई गई प्रतिभूति राशि एवं अग्रिम जमा किश्त की राशि जब्त कर ली जाएगी।

19— पर्यावरण के हित में जहॉं सम्भव हो या विभाग द्वारा निर्देशित किया जाये वहां ठेकेदार द्वारा पौधारोपण व अन्य भू—स्खलन को रोकने के लिए Engineering Structure लगाने होंगे तथा ऐसा न करने पर विभाग द्वारा ठेका रद्द कर दिया जाऐगा व जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी । इसके अतिरिक्त विभाग के किसी अधिकारी द्वारा यदि कोई शर्तें पर्यावरण के संतुलन हेतू लगाई जाएं तो ठेकेदार उनको मानने के लिए वाध्य होगा।

20— नीलामी समिति को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किसी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हें जो नीलामी आरम्भ होने से पूर्व इनकी घोषणा की जाएगी तथा सभी बोलीदाताओं को मान्य होगी । इसके अतिरिक्त खनन सम्बन्धि जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे।

21— जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी नीलाम की गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्णरूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में रॉयल्टी भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।

22— खन्न हेतू मशीन उपकरण Mechnical/Hydraulic Excavator जैसे जे0सीबी0, पोकलेन इत्यादि का प्रयोग नियमानुसार निदेशक उद्योग हि0 प्र0 की पूर्व लिखित अनुमति से ही किया जा सकता है ।

23– नदी/खड्ड में पहुँचने की सतह तक पहूंच मार्ग बनाने हेतु लोक निर्माण विभाग की सड़क से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करनी होगी ।

24– पत्थर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

25– उच्चतम बोलीदाता को सुनिशिचत् करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्ड में मछलियों का शिकार न करें।

26– खन्न कार्य नदी के धरातल से 3 फुट से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा, तथा किसी भी अवस्था में 3 फुट से गहरे गढढे करने की अनुमति नहीं होगी।

27– उप–मण्डल स्तर पर गठित कमेटी द्वारा हर वर्ष खन्न कार्य का पुर्नरीक्षण(Review) किया जाएगा तथा अवव्यवस्थित खनन् करने पर ठेका रद्व कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी ।

28– उत्खनियों की उच्चतम बोली के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नीति निर्देशों के अनुसार मुल्यांकन करने पर ठेके की अवधी तय की जाएगी ।

29– यदि नीलामी के लिए प्रस्तावित की गई खड्ड का हिस्सा संयुक्त निरीक्षण कमेटी द्वारा स्टोन क्रशर इकाई की आपूर्ति के लिए खनन पट्टा पर प्रदान करने के लिए नीलामी अधिसूचना जारी होने से पूर्व अनुमोदित किया जा चुका हो तो उस अवस्था में प्रस्तावित उत्खनि में ऐसा क्षेत्र नीलामी क्षेत्र का भाग नहीं होगा। ऐसे क्षेत्रों बारे जानकारी सम्बन्धित खनि अधिकारी से नीलामी तिथि से पूर्व या नीलामी के समय प्राप्त की जा सकती है ।

30– खनिजो के एकत्रीकरण से भू स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिए ।

31– यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते बन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति वन विभाग के ध्यान में आती है, तो बिना नोटिस जारी किये ठेका रद्द करने की कार्यवाही की जायेगी।

32 निलामी उन्हीं खड्डों/खानों की ही की जाएगी जिनका अनापत्ति प्रमाण पत्र वन विभाग द्वारा जारी किया गया है।

33– पट्टाधारक/ परमिट धारक ठेके पर स्वीकृत क्षेत्र से खनिजो़ की मात्रा का मासिक ब्यौरा विभाग को देगा ताकि खनिजों के एकत्रीकरण से क्षेत्र के पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन किया जा सके।

******